	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 21, गुरूवार, शाके 1942–जून 11, 2020 *Jyaistha 21, Thursday, Saka 1942–June 11, 2020*	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान वित्त निगम

अधिसूचना

जयपुर, जून 9, 2020

संदर्भ संख्या आरएफसी/एफ.पीए-23(16)/241: राजस्थान सरकार के ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के पत्र दिनांक 22.08.1989 के निर्देशानुसार राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल ने "राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज पेंशन रेगूलेशन्स, 1990" को दिनांक 01.04.1987 से निगम में लागू करने के आदेश पारित किये थे, जिस बाबत निगम द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18.06.1992 को जारी की गई थी। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थिति पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग्स (PSUs)में पेंशन योजना शुरू करने के अपने पूर्व के दिशा निर्देशों को वापस लेने के कारण, राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल ने दिनांक 29.05.2020 को आयोजित बैठक में दी स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन्स एक्ट, 1951 की धारा 23 सपठित धारा 48 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से विचार विमर्श करने के पश्चात तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेकर "राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज पेंशन रेग्यूलेशन्स, 1990" को दिनांक 21.06.2004 से वापिस (Withdraw)लेते हुए उक्त रेग्यूलेशन्स को निष्प्रभावी कर दिया गया है।

अत: राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल की आयोजित बैठक दिनांक 29.05.2020 में लिए गये निर्णयानुसार "राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज पेंशन रेग्यूलेशन्स, 1990" के दिनांक 21.06.2004 से निष्प्रभावी होने के फलस्वरूप निगम के समस्त कर्मचारी, जो कि जीपीएफ/पेंशन स्कीम में अनिवार्य रूप से अथवा विकल्प के माध्यम से "राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज पेंशन रेग्यूलेशन्स, 1990" के अंतर्गत आते थे, उन समस्त कर्मचारियों के लिए दिनांक 21.06.2004 से "राजस्थान वित्त निगम एम्पलोइज भविष्य निधि रेग्यूलेशन्स, 1958"अनिवार्य रूप से प्रभावी माना गया है।

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Notification

Jaipur, June 9, 2020

Ref. No. RFC/F.PA-23(16)/ 241: In the Corporation, "Rajasthan Financial Corporation Employees Pension Regulations, 1990" was introduced w.e.f. 01.04.1987 vide Notification dated 18th June, 1992 in pursuance of direction dated 22.08.1989 issued by the Bureau of Public Enterprises Deptt., Govt. of Rajasthan. Lateron, Bureau of Public Enterprises Deptt. withdrew its earlier direction of introduction of the Pension Scheme in Public Sector Undertakings (PSUs). Accordingly, exercising the powers conferred under

section 23 read with section 48 of the State Financial Corporations Act, 1951, the Board of Directors of the Corporation in its meeting held on 29.05.2020, after taking previous sanction of the State Govt. and consultation with SIDBI, have withdrawn "the Rajasthan Financial Corporation Employees Pension Regulations, 1990" with effect from 21.06.2004.

Accordingly, in terms of the decision taken by the Board of Directors of Rajasthan Financial Corporation in its meeting held on 29.05.2020, "RFC Employees Pension Regulations, 1990", earlier introduced by the Corporation, stand withdrawn with effect from 21.06.2004, and the benefit of CPF scheme under "RFC Employees Provident Fund Regulations, 1958" would be extended to the employees of the Corporation, who had been covered by GPF/Pension Scheme whether compulsorily or by option from the date pension regulations were made applicable to them.

संचालक मण्डल की आज्ञा से,

मोहन सिंह मीना,

सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।